महत्वपूर्ण/समय–सीमा

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) पिन–492002
दूरभाष कार्यालय–(0771–2512108, फैक्स–2512102) वेब साइट–www.siccg.gov.in ईमेल–sic.cg@nic.in

क्रमांक 2310 /स्था/छगरासूआ/23 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /12/2023

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
....
....
महानदी भवन, मंत्रालय,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 की जानकारी विधानसभा पटल पर रखे जाने के संबंध में।

––00––

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के प्रावधानों के तहत राज्य सूचना आयोग वर्ष के अंत में अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विधिवत विधानसभा पटल पर निश्चित समयावधि में रखा जाना है। मंत्रालय के समस्त विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोकप्राधिकारियों से ऐसी सूचना एकत्रित कर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0) को उपलब्ध कराएंगे।

2/ गत वर्ष की भांति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग को दी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन जानकारी के लिए कुल 10 प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। विभागवार वार्षिक प्रतिवेदन जानकारी जनवरी 2023 से दिसबंर 2023 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित की जावेगी।

3/ अतएव वर्ष 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विधानसभा पटल में रखे जाने हेतु **01 जनवरी 2023 से 31 दिसबंर 2023 तक की चाही गई जानकारी संकलित कर दिनांक 25 जनवरी 2024 तक आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।**

4/ **वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विभागीय सचिवों के द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों से एकत्रित एवं संकलित कर एकजायी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में परिशिष्ट 4.1 से 4.5 एवं परिशिष्ट 4.7, 4.8 और परिशिष्ट 4.9 एवं परिशिष्ट 4.10 और 4.11 में जानकारी पूर्ण कर आयोग को भेजना सुनिश्चित की जावें। जिन विभागों के अतर्गत अनुदान प्राप्त संस्थाएं आती हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सचिव विभागीय जानकारी के साथ भेजेंगे।**

क्रमशः....

5/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के अंतर्गत सूचना आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विभागों का है। अतः यह पत्र अग्रिम सूचना के साथ प्रेषित करते हुए निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों से जानकारी एकत्रित एवं संकलित कर निर्धारित प्रपत्र में **छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, (छ0ग0) को दिनांक 25 जनवरी 2023 तक भेजने का कष्ट करें।**

संलग्नः—सहपत्र कुल 10 प्रपत्र

सचिव 4/12
छ0ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

पृ0 कमांक 2311 /स्था/छगरासूअ/23 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /12/2023
5 DEC 2023

प्रतिलिपिः—

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर।

सचिव 4/12
छ0ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट 4.1

विभागीय जानकारी धारा 4(1) ख के अंर्तगत स्वप्रकटन करने वाले लोक प्राधिकारियों का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	लोक प्राधिकारी की संख्या	धारा (4)(1) ख के अंर्तगत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	विभागीय मैन्युअल अद्यतन करने वालों लोक प्राधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5

परिशिष्ट 4.2

विभागीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपील अधिकारियों का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	जन सूचना अधिकारियों की संख्या	सहायक जन सूचना अधिकारियों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों की संख्या
1	2	4	5	6

परिशिष्ट 4.3

राज्य शासन एवं लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम के कियान्वयन एवं प्रशिक्षण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	प्रशिक्षित जन सूचना अधिकारियों / सहायक जन सूचना अधिकारियों / अन्य अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित अशासकीय संस्था / जन प्रतिनिधि की संख्या
1	2	3	4

परिशिष्ट 4.4

सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 4.5

प्रथम अपील एवं निराकरण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	गत वर्ष लंबित अपीलों प्रकरणों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपीलों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	शेष अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 4.7

लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित शुल्क का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा–6(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	अधिनियम की धारा–7(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	अधिनियम की धारा–7(5) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	कुल राशि (कॉलम 3+4+5)
1	2	3	4	5	7

परिशिष्ट 4.8

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	इस वर्ष में प्राप्त आवेदन की कुल संख्या							
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल (कॉलम 3+4)	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	पिछड़े वर्ग	अन्य वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट 4.9

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	इस वर्ष में प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या				
		शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट 4.10

आर.टी.आई. आनलाईन द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	इस वर्ष में आर.टी.आई. आनलाईन के द्वारा जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्राप्त आवेदनों का विवरण		
		प्राप्त आवेदन की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5

परिशिष्ट 4.11

आर.टी.आई. आनलाईन द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	इस वर्ष में आर.टी.आई. आनलाईन के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त आवेदनों का विवरण		
		प्राप्त आवेदन की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5